<u>न्यायालय-अमनदीपसिंह छाबडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला-बालाघाट, (म.प्र.)</u>

आप.प्रक.क्रमांक—300040 / 2008 संस्थित दिनांक—23.01.2008 फाईलिंग क्र.234503000122008

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र–मलाजखण्ड, जिला–बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

/ / <u>विरूद</u> / /

1—नरेन्द्र पिता रामचरण मेरावी, उम्र—37 वर्ष, निवासी—ग्राम दर्जीटोला नेवरगांव, थाना मलाजखण्ड, जिला बालाघाट (म.प्र.)

2—चमरूसिंह पिता अकलु मेरावी, उम्र–62 वर्ष, निवासी—ग्राम दर्जीटोला नेवरगांव, थाना मलाजखण्ड, जिला बालाघाट (म.प्र.)

----<u>आरोपीगण</u>

// <u>निर्णय</u> //

<u>(आज दिनांक-24/05/2017 को घोषित)</u>

- 1— अभियुक्तगण नरेन्द्र व चमरू के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—341, 325/34 के तहत आरोप है कि उन्होनें दिनांक—20.12.2007 को सुबह 6:00 बजे थाना मलाजखण्ड अंतर्गत ग्राम नेवरगांव दर्जीटोला में फरियादी बुधराम का रास्ता रोककर उस दिशा में जिस दिशा में जाने का उसे अधिकार था, निवारित कर सदोष अवरोध कारित किया, फरियादी बुधराम को मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में आहत बुधराम को हाथ—मुक्कों व लात से मारकर उसकी क्लेविकल अस्थि में अस्थिभंग कर गंभीर उपहति कारित की एवं इसके अलावा आरोपी चमरू के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294 के तहत यह भी आरोप है कि उसने उक्त ६ विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294 के तहत यह भी आरोप है कि उसने उक्त ६ विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294 के तहत यह भी आरोप है कि उसने उक्त ६ विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294 के तहत यह भी आरोप है कि उसने उक्त ६ विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—604 के तहत यह भी आरोप है कि उसने उक्त ६ विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—604 के तहत यह भी आरोप है कि उसने उक्त ६ विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—604 के तहत यह भी आरोप है कि उसने उक्त ६ विरूद्ध पर पर फरियादी बुधराम को मां—बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया।
- 2— संक्षेप में अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि दिनांक—10.01.08 को फरियादी बुधराम ने थाना मलाजखण्ड आकर इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि वह

ग्राम नेवरगांव दर्जीटोला में रहता है तथा खेती किसानी का काम करता है। दिनांक-20. 12.2007 को सुबह 6:00 बजे वह अपने खेत गया था और सिर पर एक गठ्ठा पैरा लेकर घर आ रहा था तो झामसिंह गोंड के खेत की पगडंडी वाले रास्ते पर पहले चमरू गोंड तथा नरेन्द्र गोंड आए और उसका रास्ता रोककर कहने लगे कि उसने मकान बनाने के लिए बाड़ी में लकड़ी की डेरी गड़ाकर मेढ़ बनाया है। उसी बात को लेकर आरोपी चमरू गोंड ने उसे साले, मादरचोद, बहनचोद तूने कैसे मेढ़ बनाया, मार दूंगा कहने लगा। बाद में आरोपी नरेन्द्र गोंड उसके कोथा में बैठ गया और दाहिने तरफ गले के पास दो-तीन बार मुक्का मारा, जिससे उसके गले के पास की हड्डी में सूजन आ गई तथा पसली में दर्द हो गया। आरोपी चमरू द्वारा दी गई गालियां उसे सुनने में बुरी लग रह थी। उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक-04/08, धारा-341, 294, 323, 34 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा आहुत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नजरी नक्शा बनाया गया एवं गवाहों के कथन लिये गये। विवेचना के दौरान आहत को फ्रेक्चर होने से आरोपीगण के विरूद्ध धारा-325 भा.द.वि. का ईजाफा किया गया एवं आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी नरेन्द्र के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—341, 325/34 एवं आरोपी चमरू के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 341,325/34 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपीगण ने धारा—313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वंय को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया गया होना बताया है। आरोपीगण द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई।

4- प्रकरण के निराकरण हेत् निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:--

- 1. क्या आरोपी नरेन्द्र व चमरू ने दिनांक—20.12.2007 को सुबह 6:00 बजे थाना मलाजखण्ड अंतर्गत ग्राम नेवरगांव दर्जीटोला में फरियादी बुधराम का रास्ता रोककर उस दिशा में जिस दिशा में जाने का उसे अधिकार था, निवारित कर सदोष अवरोध कारित किया ?
- 2. क्या आरोपी नरेन्द्र व चमरू ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी बुधराम को अन्य आरोपी के साथ मिलकर मारपीट करने का सामान्य

आशय निर्मित कर, उसके अग्रसरण में आहत बुधराम को हाथ—मुक्को व लात से मारकर उसकी क्लेविकल अस्थि में अस्थिभंग कर गंभीर उपहति कारित की ?

3. क्या आरोपी चमरू ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी बुधराम को मॉ—बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?

ः:सकारण निष्कर्षः:

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-1

े आहत बुधराम (अ०सा0–3) का कहना है कि वह आरोपीगण को जानता 5— है तथा घटना उसके साक्ष्य देने से लगभग दो साल पूर्व उसके खेत की सुबह सात बजे की है। वह पैरा लेकर आ रहा था। उसी समय आरोपीगण छोड़े और उसे गिराकर मारने लगे। जिससे गले की हड्डी टूट गयी। उसे पैरे सहित गड्डे में गिरा दिये फिर समाज में मीटिंग हुई मीटिंग में आरोपीगण बोले कि ईलाज नहीं कराते। आरोपीगण ने मां बहन की गंदी-गंदी गालियां दी जो सुनने में बुरी लगीं। यद्यपि साक्षी नेहरू अ०सा०५ ने सूचक प्रश्न पूछे जाने पर आरोपीगण द्वारा पिता बुधराम को मां की गाली देना स्वीकार किया है। परंतु उक्त साक्षी ने ही प्रतिपरीक्षण में घटना के समय खेत के ध ार में होना व्यक्त कर पिता के बताये अनुसार घटना बताने के कथन किये जिससे उक्त आरोप के संबंध में उसकी साक्ष्य सहायक नहीं है। साक्षी बुधराम अ०सा०३ के अनुसार ६ ाटना उसके खेत की है। मौकानक्शा प्र.पी.03 से भी घटनास्थल खेत की पगडंडी होना दर्शित है। धारा–294 भा.दं०सं० के अपराध हेतु घटनास्थल लोक स्थान अथवा उसके समीप होना आवश्यक है। अभियोजन द्वारा ऐसे कोई तथ्य प्रस्तृत नहीं किये गये हैं ध ाटनास्थल लोक स्थान अथवा उसके समीप का स्थान है या कथित पगडंडी से लोगों का आवागमन होता है। साथ ही धारा—294 भा.दं0सं0 का अपराध साबित करने के लिए अश्लील शब्दों का उच्चारण मात्र ही पर्याप्त नहीं होता बल्कि यह साबित करने के लिए अतिरिक्त सबूत का होना आवश्यक होता है कि वह दूसरों को क्षोभ कारित करता था। उक्त्त संबंध में न्याय दृष्टांत –के.जयमनुराज विरूद्ध कनकराज 1997. सी.आर.एल.जे. 1623 मद्रास, अवलोकनीय है। आरोपी नरेन्द्र के विरूद्ध उक्त अपराध के संबंध में आरोप नहीं है और उपलब्ध साक्ष्य से धारा–294 भा.दं०सं० के अपराध का गठन नहीं होता। अतः यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त चमरू ने परिवादी को लोक स्थान अथवा उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित किया।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-2 तथा 3

साक्ष्य की पुनरावृति को रोकने तथा सुविधा हेतु उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

आहत बुधराम (अ०सा०–3) का कहना है कि वह आरोपीगण को जानता है तथा घटना उसके साक्ष्य देने से लगभग दो साल पूर्व उसके खेत की सुबह सात बजे की है। वह पैरा लेकर आ रहा था। उसी समय आरोपीगण दौडे और उसे गिराकर मारने लगे। जिससे गले की हड्डी टूट गयी। उसे पैरे सहित गड्डे में गिरा दिये फिर समाज में मीटिंग हुई मीटिंग में आरोपीगण बोले कि ईलाज नहीं कराते। आरोपीगण ने मां बहन की गंदी-गंदी गालियां दी जो सुनने में बुरी लगीं। उसने घटना की रिपोर्ट प्र. पी02 दर्ज की थी जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस वाले ध ाटनास्थल पर नहीं आये थे परंत् मौकानक्शा प्र.पी.03 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसका डाक्टरी मुलाहिजा हुआ था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। पश्चात परीक्षण में बुधराम (अ०सा०-3) का कथन है कि आरोपी नरेन्द्र ने उसे मकान बनाने से मना कर आरोपी चमरू के साथ मिलकर जमीन पर पटक दिया था जिससे उसके गले की हड्डी टूट गयी थी। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसे आरोपी नरेन्द्र ने चमरू के साथ मिलकर एक बार उठाकर जमीन पर पटक दिया था। जिसकी उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी। आरोपी नरेन्द्र ने दाई-मां की गंदी-गंदी गालियां दी थी और उसका रास्ता रोक लिया था। नरेन्द्र उसके कोथा पर बैठ गया और हाथ मुक्कों से मारपीट की थी।

7— बुधराम (अ०सा०—3) का प्रतिपरीक्षण में कथन है कि उसने घटना के 15—20 दिन बाद नहीं बिल्क तुरंत जाकर मलाजखण्ड थाने में रिपोर्ट की थी। आरोपीगण से उसका घटना के पूर्व से जमीन को लेकर विवाद है। लड़ाई नींव खोदने के स्थान पर नहीं बिल्क खेत में हुई थी। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि उसने जमीन के विवाद को लेकर आरोपीगण को झूटा फंसाया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 के अवलोकन से घटना दिनांक 20.12.07 की होकर लगभग बीस दिनों के बाद दिनांक 10.01.08 को लेख किया जाना दर्शित है। उक्त रिपोर्ट में विलम्ब का कारण ईलाज के आश्वासन उपरांत खर्च नहीं देने के कारण लेख किया गया है। साक्षी द्वारा प्रथम परीक्षण में उक्त संबंध में कथन किये गये हैं परंतु पश्चात परीक्षण में उसने विलम्ब से रिपोर्ट कराने के तथ्य को स्पष्ट रूप से इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी के कथन घटना के संबंध में विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते। क्योंकि

प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 बीस दिनों के विलम्ब से लेख किया जाना दर्शित है परंतु साक्षी द्वारा उक्त संबंध में कोई भी उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

5

8— नेहरू (अ०सा०—5) का कहना है कि घटना उसके साक्ष्य देने से तीन—चार साल पुरानी सुबह सात बजे उनके घर के पास खेत की है। उसके पिता जी बुधराम खेत से पैरा लेकर बस्ती तरफ आ रहे थे। उसी समय आरोपी नरेन्द्र और चमरू गाली—गलौच एवं मारपीट किये थे। बीच बचाव करने वह और घनश्याम गये थे। उसके पिता के गले की हड्डी टूट गयी थी। जिसका उपचार करवाने के लिए बालाघाट ले गये थे। घटना के संबंध में पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना वर्ष 2007 की है। उसके पिता जी के चिल्लाने पर आवाज सुनकर उसने जाकर बीच—बचाव किया था। उसके पिता जी ने बताया था कि दोनों आरोपीगण ने रास्ता रोककर जमीन पर गिरा दिया था और हाथ मुक्कों से मारपीट की थी। आरोपीगण ने उसके पिता बुधराम को तेरी मां को चोदू की गालियां दी थी।

प्रतिपरीक्षण में साक्षी नेहरू (अ०सा०-5) ने रिपोर्ट के समय के संबंध में विरोधाभासी कथन किये हैं। प्रथमतः उसी दिन रिपोर्ट कराने का कथन कर साक्षी ने पहले गांव में मीटिंग रखने के कथन किये, तत्पश्चात पुनः घटना के दिन ही रिपोर्ट दर्ज करवाने के कथन किये हैं। साक्षी ने बचाव पक्ष के घटना के बीस दिन बाद बयान लेख करने के सुझाव को अस्वीकार कर कथन किया है कि घटना के दिन ही उसका बयान ले लिया गया था। साक्षी ने मुलाहिजा प्र.पी.04 तथा प्र.पी.05 की दिनांक को अस्वीकार कर कथन किया है कि उसके पिता का ईलाज घटना दिनांक को ही हो गया था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसे घटना संबंधी बात उसके पिता ने बतायी थी और वह ध ाटनास्थल पर हल्ला सुनकर गया था। वह घटना के समय खेत के घर में था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना के पूर्व से उसके पिता तथा चाचा चमरू एंव भाई नरेन्द्र के मध्य जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। परंतु इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक को उसके पिता के साथ कोई घटना नहीं हुई थी और रंजिश वश उन लोगों ने आरोपीगण के विरूद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज करायी है। साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षण में की गयी स्वीकृतियों से यह स्पष्ट है कि उसने स्वयं घटना को नहीं देखा है। अपितु वह अपने पिता आहत बुधराम के बताये अनुसार कथन कर रहा है। परंतु साक्षी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट और मुलाहिजा एवं एक्सरे की तिथि के संबंध में जिस प्रकार कथन किये हैं उससे उसकी साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती। क्योंकि घटना के लगभग

बीस दिन बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करने के पश्चात मुलाहिजा एवं एक्सरे होना दस्तावेजों से दर्शित है।

- 10— घटना का अन्य साक्षी घनश्याम (अ०सा0—1) पक्षद्रोही रहा है जिसने आरोपीगण तथा प्रार्थी को पहचानना व्यक्त कर यह कथन किया है कि घटना उसके साक्ष्य देने से लगभग दो साल पूर्व की है। जब गांव में मीटिंग रखे थे, उसमें क्या फैसला हुआ था उसे जानकारी नहीं है वह मीटिंग में नहीं गया था। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने पुलिस को प्र.पी.01 का बयान देने से इंकार किया है।
- 11— डां. डी.के.राउत (अ०सा०—4) का कहना है कि दिनांक 15.01.08 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में दिनांक 12.01.08 को एक्सरे टेक्नीशियन ए.के.सेन द्वारा आहत बुधराम पिता अकलू के दाहिने कंधे एवं क्लेविकल हड्डी के लिये गये एक्सरे का परीक्षण करने पर उसने दाहिने तरफ क्लेविकल हड्डी के बाहरी एक तिहाई भाग पर अस्थिमंग होना पाया था। कंधे के जोड़ पर कोई अस्थिमंग नहीं पाया था। उक्त चोट एक्सरे दिनांक से एक सप्ताह की थी। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.04 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि बुधराम को आयी चोट एक्सरे दिनांक के एक सप्ताह के अंदर की थी क्योंकि चोट पर केलस दिखायी नहीं दे रहा था। उक्त साक्षी की साक्ष्य से आहत के कथनों का खण्डन होता है क्योंकि घटना के करीब 25 दिनों बाद आहत का एक्सरे किया गया था। इस प्रकार साक्षी की साक्ष्य से अभियोजन को कोई लाम प्राप्त नहीं होता। अपितु अभियोजन कहानी संदिग्ध प्रतीत होती है।
- 12— राधेश्याम राहंगडाले (अ०सा०—2) का कहना है कि दिनांक 10.01.08 को थाना मलाजखण्ड में प्रार्थी बुधराम द्वारा आरोपी चमरू तथा नरेन्द्र के विरूद्ध रास्ता रोककर अश्लील गालियां देकर एक राय होकर मारपीट करने की रिपोर्ट की थी। जिस पर उसने अपराध कमांक 04/08 धारा 341, 294, 323, 34 भा.दं०सं० का अपराध पंजीबद्ध किया था जो प्र.पी.02 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी के कथन हैं कि घटना दिनांक 20.12.07 की थी और बुधराम ने दिनांक 10.01.08 को रिपोर्ट लिखवायी थी और उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट में विलम्ब का कारण लेख किया है। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि

उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 अपने मन से लेख की थी।

13— सुरेश विजयवार (अ०सा०—6) का कहना है कि दिनांक 10.01.08 को थाना मलाजखण्ड के अपराध कमांक 04/08 की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर ह । टनास्थल ग्राम दर्जीटोला ग्राम नेवरगांव जाकर प्रार्थी बुधराम की निशांदेही पर मौकानक्शा प्र.पी.03 तैयार किया था जिसके बी से बी भा गपर उसके हस्ताक्षर हैं। उसी दिनांक को प्रार्थी बुधराम साक्षी नेहरू तथा घनश्याम के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था। आरोपी नरेन्द्र मेरावी एवं चमरूसिहं को गिरफतार कर गिरफतारी पत्रक प्र.पी. 05 एवं 06 तैयार किया था जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रार्थी का मुलाहिजा उपरांत मुलाहिजा रिपोर्ट प्रकरण के साथ संलग्न कर एवं प्रार्थी की एक्सरे रिपोर्ट प्राप्त होने पर धारा—325 भा.दं०सं० का इजाफा किया गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि उसने प्र.पी.03 का मौकानक्शा मौके पर न जाकर थाने में तैयार किया था तथा प्रार्थी बुधराम एवं साक्षी नेहरू के कथन उनके बताये अनुसार लेख न कर अपने मन से तैयार किये थे। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को भी अस्वीकार किया है कि उसने प्रकरण में प्रार्थी बुधराम से मिलकर आरोपीगण को फंसाने के लिए झूटी एवं फर्जी विवेचना तैयार की थी।

विवेचक साक्षी की साक्ष्य विवेचना के संबंध में अखण्डनीय है, जिन पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है। परंतु मात्र विवेचक साक्षी की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता क्योंकि घटना के आहत बुधराम अ०सा03 द्वारा घटना के संबंध में विरोधाभासी कथन किये हैं। घटना के बीस दिन बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गयी थी जिसका कोई स्पष्टीकरण साक्षीगण के कथनों में नहीं हैं। क्योंकि स्वयं बुधराम अ०सा03 तथा नेहरू अ०सा05 ने अपने प्रतिपरीक्षण में घटना के दिन ही रिपोर्ट कराने के कथन किये हैं। चिकित्सा साक्षी की साक्ष्य से भी घटना के समय आहत की चोटों की पुष्टि नहीं होती। अन्य किसी भी साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है। ऐसी स्थित में यह नहीं कहा जा सकता कि घटना के समय अभियुक्तगण द्वारा परिवादी बुधराम का रास्ता रोककर उसे सामान्य आशय के अग्रसरण में अस्थिभंग कर गंभीर उपहत्ति कारित की। क्योंकि परिवादी द्वारा अभियुक्तगण से जमीन के संबंध में पूर्व विवाद होना भी स्वीकृत किया गया है।

15— अतः अभियुक्तगण को भा.दं०सं० की धारा—294, 341, 325 के तहत दण्डनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

16— अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

17— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

18— प्रकरण में अभियुक्त चमरूसिंह दिनांक 11.08.08 से दिनांक 12.11.08 तक तथा अभियुक्त नरेन्द्र दिनांक 16.11.12 से दिनांक 19.11.12 तक अभिरक्षा में रहा है, इस संबंध में धारा 428 जा०फौ० का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

(अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

(अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, बालाघाट (म.प्र.) ATTACH STANDARD STAND